BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ- 226025.

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
(A Central University)
Vidaya Vihar Rae Bareli Road, Lucknow-226025

पत्र संख्या. MIN 47294-L /हि.प्र./बीबीएयू/2026
दिनाक 25/10/2026

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सूचना मंत्रालय को भेजने के लिए सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सूचना प्रत्येक तिमाही में मंत्रालय, यूजीसी एवं राजभाषा विभाग को भेजनी होती है।

अतः आपसे अनुरोध है। कि अपने संकाय/ विभाग/ अनुभाग/ कार्यालय की **01 जुलाई, 2026 से 30 सितम्बर, 2026** तक की तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में भरकर **13 अक्टूबर, 2026** तक हिंदी प्रकोष्ठ में प्रेषित करें। जिससे कि इसे संकलित कर समेकित रूप में मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राजभाषा विभाग को भेजा जा सके। ज्ञात हो कि यह रिपोर्ट समयबद्ध होती है।

इसलिए अनुरोध है कि रिपोर्ट अविलम्ब हिंदी प्रकोष्ठ को भेजने की कृपा करें।

कुलसचिव 1/10/26

वितरणः- निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित-

1 अनुभाग अधिकारी, माननीय कुलपति महोदय
2. निजी सचिव-कुलसचिव।
3. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / समन्वयक / प्रभारी।
4. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक / पुस्तकालयाध्यक्ष ।
5. कुलानुशासक/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण /
6. अधिशाषी अभियंता।
7. समस्त उप-कुलसचिव / सहायक कुलसचिव/ अनुभाग अधिकारी।
8. विश्वविद्यालय वेबसाइट।

सहायक निदेशक (रा.भा.)

दिनांक----------

----------संकाय/विभाग/अनुभाग/कार्यालय

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

* मद सं. 01 से 10 तक की सूचनाएं सभी संकाय/विभाग/अनुभाग द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाए।

* क , ख व ग क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है।

..... को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है-

1. हिंदी में भेजे गए कुल पत्रों की संख्या - 'क' क्षेत्र को ..... 'ख' क्षेत्र को ..... 'ग' क्षेत्र को .....
2. अंग्रेजी में भेजे गए कुल पत्रों की संख्या - 'क' क्षेत्र को ..... 'ख' क्षेत्र को ..... ग' क्षेत्र को .....
3. हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या- 'क' क्षेत्र से .....'ख' क्षेत्र से .....'ग' क्षेत्र से .....
4. उपरोक्त हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की संख्या हिंदी में ..... अंग्रेजी में.....
5. अंग्रेजी में प्राप्त कुल पत्रो की संख्या- 'क' क्षेत्र से ..... 'ख' क्षेत्र से ..... 'ग' क्षेत्र से .....
6. उपरोक्त अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की संख्या हिंदी में ..... अंग्रेजी में.....
7. फाइलों पर लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या - हिंदी में ..... अंग्रेजी में.....
8. धारा 3(3) के तहत जारी किए गए कागजात की संख्या - ----------
9. कार्यालय में प्रयोग होने वाली रबड़ के मोहरों की संख्या- हिंदी में ..... अंग्रेजी में.....द्विभाषी .....
10. कार्यालय में प्रयोग होने वाले रजिस्टरों की संख्या - हिंदी में ..... अंग्रेजी में.....द्विभाषी .....

संकाय/विभाग/ अनुभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

सहायक निदेशक (राजभाषा)

भाषाई आधार पर 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में बांटे गए राज्य

'क' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य: बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह।

'ख' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब चंडीगढ़ दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली।

'ग' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य: 'क' और 'ख' क्षेत्र के अतिरिक्त शेष सभी राज्य।

राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3) के तहत आने वाले कागजात

1- सामान्य आदेश-ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो स्थायी प्रकार के हों और कर्मचारियों के समूह के लिए जारी किये जा रहें हों। साथ ही ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोजन के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों 2- अधिसूचनाएं (नोटिफिकेशन) 3-प्रेस विज्ञप्तियाँ/टिप्पिणयां 4- संविदा (कांट्रैक्ट) 5- करार (एग्रीमेन्ट) 6- लाइसेन्स 7- परमिट 8- टेंडर फार्म